संख्या–539/9–आ–3–2002–240 काम्प/2001

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 8 फरवरी, 2002

विषय : नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–218/9–आ–3–987100 विविध/97 दिनांक–16 मार्च, 1988 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा सेलुलर मोबाइल संचार प्रणाली को एक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा मानते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा यथा सड़क, नाली, सीवर, विद्युत खम्भे, टावर, ट्रान्सफार्मर, टेलीफोन खम्भे/टावर आदि को किसी भी भू–उपयोग में बिना प्रतिबन्ध के लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था/प्रदत्त छूट को ''बेसिक टेलीफोन सर्विस'' के सम्बन्ध में भी निस्तारित करते हुए समस्त विकास प्राधिकरणों एवं विनियोजित क्षेत्रों की सीमा में समान शर्तों के अधीन लागू कर दी जायें। कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

उपर्युक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. नियंत्रक प्राधिकारी, समसत विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश (शासनादेश दिनांक 16.3.98 की प्रति संलग्न)

3. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

5. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

6. महानिदेशक, टेलीफोन्स, भारत सरकार नई दिल्ली।

7. रिलायंस इन्फोकाम लि0–8–9 भूतल सरन चैम्बर, 11, 5 पार्क रोड, लखनऊ। 226001

8. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।